न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 100/2023

प्रार्थीगण :–

1. जमनादेवी पत्नी जगदीश कुमार जाति लौहार
2. रविन्द्रकुमार पुत्र जगदीश कुमार जाति लौहार निवासी बालोतरा तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।
3. धर्मपुरी पुत्र जेठपुरी जाति गोस्वामी निवासी सवाऊ पदमसिंह तह.गिड़ा

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र नेनाराम जाति राईका, निवासी होटलु
2. तोलीदेवी पत्नी मोतीलाल
3. निकिता पुत्री मोतीलाल
4. मीनाक्षी पुत्री मोतीलाल
5. लक्ष्मी पुत्री मोतीलाल सभी जातियान खटीक, नि0 नीलम सिनेमा के पीछे बालोतरा
6. तुलसाराम पुत्र मगनाराम
7. भीमाराम पुत्र मगनाराम जाति भील
8. ग्राम पंचायत जानियाना जरीये सरपंच ग्राम पंचायत जानियाना तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।
9. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:19:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

।रिथत :–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत , प्रार्थीगण अधिवक्ता

2. विप्रार्थी संख्या 1 से 09 एक पक्षीय

'आदेश' दिनांक :– 14.7.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा होटलू, पटवार हल्का बिठुजा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आसोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 703/328 रकबा 1.2949 हैक्टेयर, खसरा संख्या 705/328 रकबा 0.9713 हैक्टेयर, खसरा संख्या 704/328 रकबा 0.9713 हैक्टेयर में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी । वकील प्रार्थीगण ने दो[illegible] बह[illegible]र्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि [illegible] होटलू, पटवार हल्का बिठुजा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आसोतरा, तहसील [illegible]पदरा मे खसरा संख्या 703/328 रकबा 1.2949 हैक्टेयर, खसरा संख्या 705/328 रकबा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:19:55 IST
Reason: SelfAttested

(विवेक व्यास)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

0.9713 हैक्टेयर, खसरा संख्या 704/328 रकबा 0.9713 हैक्टेयर भूमि मे आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा होटलू, पटवार हल्का बिठुजा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आसोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 703/328 रकबा 1.2949 हैक्टेयर, खसरा संख्या 705/328 रकबा 0.9713 हैक्टेयर, खसरा संख्या 704/328 रकबा 0.9713 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

हमने वकील प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा होटलू, पटवार हल्का बिठुजा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आसोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 703/328 रकबा 1.2949 हैक्टेयर, खसरा संख्या 705/328 रकबा 0.9713 हैक्टेयर, खसरा संख्या 704/328 रकबा 0.9713 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतत्र है, जिस[illegible] हकदार भी है । विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर [illegible] हुए है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:19:55 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा होटलू, पटवार हल्का बिठुजा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आसोतरा, तहसील पचपदरा मे प्रार्थी संख्या –1 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 703/328 रकबा 1.2949 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या –2 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 705/328 रकबा 0.9713 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या –3 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 704/328 रकबा 0.9713 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर नेखमबंदी की जावे कमिश्नर फीस 1500/–प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल मिसल हो।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 14.07.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:19:55 IST
Reason: SelfAttested